सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

भाद्र 30, मंगलवार, शाके 1943-सितम्बर 21, 2021

Bhadra 30, Tuesday, Saka 1943- September 21, 2021

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 20, 2021

संख्या प. 16 (07) गृह-9/2020 :-यतः राज्य सरकार यह समझती है कि जिला पाली ग्राम कुरातीया, तहसील रायपुर, जिला पाली में स्थित खसरा नम्बर 357 (रकबा 0.2516 वर्ग मीटर) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टेशन को जिसके क्षेत्र का विवरण नीचे वर्णित है, से संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या उसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा।

इसलिए अब राज्य सरकार एतद्द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप-खण्ड (घ) सपठित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 21/20/62 पोल-I दिनांक 04.05.1963 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम कुरातीया, तहसील रायपुर, जिला पाली में स्थित खसरा नम्बर 357 (रकबा 0.2516 वर्ग मीटर) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के स्टेशन को उक्त अधिनियम के अधीन सुरक्षा की दृष्टि से निम्नांकित सीमाओं वाले क्षेत्र को प्रतिषिद्व स्थान घोषित करती है।

क्षेत्र का विवरण

क्र.स.	जिला एवं तहसील	ग्राम	रकबा	पूर्व खसरा संख्या	पश्चिम खसरा संख्या	उत्तर खसरा संख्या	दक्षिण खसरा संख्या
1.	जिला पाली तहसील रायपुर	कुरातियां	0.2516 वर्ग मीटर	387 पगडंडी एवं रास्ता	362, 363 एवं 365 खातेदारी भूमि	358 खातेदारी भूमि	353,354,355 खातेदारी भूमि एवं 356 पहाड एवं रास्ता

राज्यपाल की आज्ञा से,

देवेन्द्र कुमार,

संयुक्त शासन सचिव, गृह।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।